#### **GOVERNMENT OF INDIA**



#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	01]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 402
No.	01]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939	[N.C.T.D. No. 402

#### भाग—IV PART—IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

# महिला एवं बाल विकास विभाग

# अधिसूचना

दिल्ली, 1 जनवरी, 2018

फा. सं. 61/सीडब्ल्यूसी—X/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2015—16/42465—94.—कि गेर न्याय (बच्चों की देखभाल एंव सुरक्षा) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 27 की उपधारा (1) (2) व (6) एवं धारा 2 की उपधारा 59 के तहत उपराज्यपाल, राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बाल कल्याण समिति—X में निम्निलिखित अध्यक्ष और सदस्यों को नामित करते है। यह समिति अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त भाक्तियों व कर्तव्यों का निर्वहन राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु समुचित प्रयोग करेगी।

क्र.सं.	बाल कल्याण समिति	नाम, पता और फोन न.	अध्यक्ष और सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)
	बाल कल्याण समिति—x,	श्रीमती पूनम मल्होत्रा एफडी–50, पीतम	अध्यक्ष
	रूम न. 1 और 2,	पूरा, दिल्ली—110034	
	बिलिंडग न. 5, बाल गृह, पुलिस	मो.न. 9818180810	
	थाने के सामने, अलीपुर,		
	दिल्ली—110036		

20 DG/2018 (1)

	श्री सत्यवीर सिंह मवाई, सी–128 बी,	सदस्य
	सेक्टर 20, डिस्ट्रिक गौतम बुद्व नगर,	
	नोएडा— 201301 (यू.पी.)	
	मो.न. 9871747247	
	श्री मु ताक अली एच.न. ४ / 580, गली	सदस्य
	न0 7, जीवनगढ़ सिविल लाईन,	
	अलीगढ़, यू.पी.—202002	
	मो.न. 8868871488	
	श्री अ ाोक कुमार विधार्थी,	सदस्य
	सी—1 / 184—ए डीडीए फ्लैटस मयूर	
	विहार, फेस III <b>,</b> दिल्ली—110096	
	मो.न. 9212008543	
	श्री प्रवीन कुमार झा एच.न. 56, गली	सदस्य
	न. 2, ब्लॉक सी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी,	
	बुराड़ी, दिल्ली—110084	
	मो.न. 9310149110	

उपरोक्त बाल कल्याण समिति अपने नामित परिसर में अधिसूचना की तारीख से तीन वर्श की अवधि के लिए कार्य करेंगी।

ये बाल कल्याण समिति कि गोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 और कि गोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) नियम 2016 के अनुसार सभी कार्यदिवसों मे प्रातः10.00 बजे से 5.00 बजे तक कार्य करेंगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, पी.सी. जैन, विोश सचिव

# DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 1st January, 2018

**F. No. 61/CWC-X/DD(CPU)/DWCD/2015-16/42465-94.**—In exercise of the powers conferred by subsection (1), (2) and (6) of section 27 read with sub-section (59) of section 2 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate the following persons as Chairperson and Members in Child Welfare Committee-X. They shall exercise the powers and discharge the duties conferred or assigned to such Committee in relation to the children in need of care and protection under the said Act, in the National Capital Territory of Delhi, namely:—

S1.	Child Welfare Committee	Name, Address	Chairperson
No.		& Phone No.	& Members
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Child Welfare Committee-X, Room No.	Ms. Poonam Malhotra	Chairperson
	1 & 2, Building No. 5, Children Home	FD-50, Pitampura,	
	for Boys, Opposite P.S. Alipur, Delhi	Delhi – 110034	
		Mob: 9818180810	
		Sh. Satyavir Singh Mawai	Member
		C-128b, Sector 20, Distt. Gautam	

Nagar, Noida-	
_	
201301 (U.P)	
Mob : 9871747247	
Sh. Mushtaque Ali	Member
H. No. 4/580, Street No. 7,	
Jeevangarh Civil Line,	
Aligarh, U.P. – 202002	
Mob:- 8868871488	
Sh. Ashok Kumar Vidyarthi	Member
C-1/184-A, DDA Flats,	
Mayur Vihar, Phase III,	
Delhi – 110096	
Mob: 9212008543	
Sh. Praveen Kumar Jha	Member
H.No. 56, Gali No. 2,	
Block C, Indraprasth Colony, Burari,	
Delhi- 110084	
Mob: 9310149110	

The aforesaid Chairperson and Members of Child Welfare Committee-X shall function from their designated premises for the period of three years from the date of notification. The Child Welfare Committee shall function in terms of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Model Rules, 2016 on all working days from 10.00 am to 5.00 pm.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
P. C. JAIN, Special Secy.